

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302006

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III / 9017

दिनांक:- 31-10-2025

आदेश संख्या:- 422/2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को कॉलम संख्या 05 में अंकित सम्बन्धित हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा) में दिनांक 03.11.2025 से 05.12.2025 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के पाँच सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 03.11.2025 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-
सारणी-I

S.No	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office	Training Centre
1	2	3	4	5
1.	780690	HEER SINGH	TEHSILDAR - 24311, REVENUE DEPARTMENT, SIWANA, BALOTRA	HCM RIPA JODHPUR
2.	775952	DEEN DYAL	SOCIAL SECURITY OFFICER - 3000323, SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, SHIV, BARMER	HCM RIPA JODHPUR
3.	779419	DEV RAJ BANA	SOCIAL SECURITY OFFICER - 8000910, SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, GADRA ROAD, BARMER	HCM RIPA JODHPUR
4.	718405	VIKASH BENIWAL	CBEO - 8000538, EDUCATION (ELEMENTARY), PANCHOO, BIKANER	HCM RIPA BIKANER
5.	724050	RAHUL BAKOLIA	CBEO - 1486, EDUCATION (ELEMENTARY), OSIAN, JODHPUR	HCM RIPA UDAIPUR
6.	751736	PARVEEN SIHAG	C.E.O. ZILA PARISHAD (RDC) - 31181, PANCHAYATI RAJ, HANUMANGARH, HANUMANGARH	HCM RIPA BIKANER
7.	732839	JITENDER SINGH	CE (NORTH) - 692, WATER RESOURCES, HANUMANGARH, HANUMANGARH	HCM RIPA BIKANER
8.	767090	ROHIT YADAV	DISTRICT AND SESSION JUDGE (METRO POLITAN) - 24821, LAW DEPARTMENT, JAIPUR, JAIPUR	HCM RIPA UDAIPUR
9.	727158	PRATIBHA JAIN	X. EN DISTRICT DIV II - 4087, PHED, JAIPUR, JAIPUR	HCM RIPA JAIPUR
10.	729161	HARSHITA CHOUDHARY	MEMBER SECRETARY RAJ STATE LEG SERVICE AUTHORITY - 8014, LAW DEPARTMENT, JAIPUR, JAIPUR	HCM RIPA UDAIPUR
11.	728419	PRIYANKA BUNDELA	CE (JAL JEEVAN MISSION) - 8001403, PHED, JAIPUR, JAIPUR	HCM RIPA UDAIPUR
12.	768385	KARAN KUMAR	TEHSILDAR - 24484, REVENUE DEPARTMENT, AHORE, JALORE	HCM RIPA UDAIPUR
13.	702110	MONIKA KANWAR UDAWAT	TREASURY OFFICER - 1120, TREASURIES AND ACCOUNTS, NAGAU, NAGAU	HCM RIPA UDAIPUR
14.	728435	LOKESH GARG	TREASURY OFFICER - 1124, TREASURIES AND ACCOUNTS, SAWAI MADHOPUR, SAWAI MADHOPUR	HCM RIPA KOTA
15.	771353	KOMAL GUPTA	DY. DIRECTOR GUAVA EXCELLENCE TRAINING CENTER - 8001639, AGRICULTURE, SAWAI MADHOPUR, SAWAI MADHOPUR	HCM RIPA KOTA

16.	752180	ALKA GUPTA	TREASURY OFFICER - 1124 , TREASURIES AND ACCOUNTS , SAWAI MADHOPUR , SAWAI MADHOPUR	HCM RIPA KOTA
17.	741322	DEEPA RAWAT	DISTRICT EDUCATION OFFICER - 8468 , EDUCATION (SECONDARY) , SAWAI MADHOPUR , SAWAI MADHOPUR	HCM RIPA KOTA
18.	764745	DHARMENDRA KUMAR NEHRA	TREASURY OFFICER (CITY) - 1288 , TREASURIES AND ACCOUNTS , UDAIPUR , UDAIPUR	HCM RIPA BIKANER
19.	717028	MAMTA LIMBA	X. EN GANGNAHAR DIV III - 3986 , CAD AND ADP DEPARTMENT , SURATGARH , SRIGANGANAGAR	HCM RIPA BIKANER
20.	721334	KIRAN VERMA	SECRETARY - 1000634 , KRISHI UPAJ MANDI SAMITI (EX CADRE POSTS) , SRIGANGANAGAR , SRIGANGANAGAR	HCM RIPA BIKANER
21.	702106	KUSUM MALI	CMHO - 20207 , MEDICAL AND HEALTH , BHILWARA , BHILWARA	HCM RIPA UDAIPUR
22.	722940	SUMAN	TREASURY OFFICER - 1106 , TREASURIES AND ACCOUNTS , SRIGANGANAGAR , SRIGANGANAGAR	HCM RIPA BIKANER
23.	790056	RAVINDRA SINGH RAO	JOINT DIRECTOR (R.O.) - 16919 , LFAD , UDAIPUR , UDAIPUR	HCM RIPA UDAIPUR
24.	775922	VIPIN ARYA	SUPDT. UMMED HOSPITAL - 1912 , MEDICAL EDUCATION , JODHPUR , JODHPUR	HCM RIPA JODHPUR
25.	723110	SHAKTI SINGH	C.E.O. ZILA PARISHAD (PANCHAYAT CELL) - 2084 , PANCHAYATI RAJ , JAIPUR , JAIPUR	HCM RIPA JAIPUR
26.	791055	VAISHALI KALAL	DISTRICT MINORITY WELFARE OFFICER - 22364 , MINORITY AFFAIRS , DUNGARPUR , DUNGARPUR	HCM RIPA UDAIPUR
27.	795315	KULDEEP BARANDA	ASTT. DIRECTOR - 23951 , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , DUNGARPUR , DUNGARPUR	HCM RIPA UDAIPUR
28.	701132	SUMITRA CHOUDHARY	DC(Adm) - 8000813 , COMMERCIAL TAXES , BHILWARA , BHILWARA	HCM RIPA UDAIPUR

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों का पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 30.10.2025 द्वारा आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र (कॉलम संख्या 05) में संशोधन कर कॉलम संख्या 06 के अनुसार नव प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जाता है:-

सारणी-2

S.No.	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office	Previously Alloted Training Centre	Revised Training Centre
1	2	3	4	5	6
1.	718521	LALCHAND MEENA	DY. DIRECTOR - 22761 , INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES , JAISALMER , JAISALMER	HCM RIPA JODHPUR	HCM RIPA BIKANER
2.	717296	BHANWER LAL SHARMA	CDPO - 23041 , INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES , SUM , JAISALMER	HCM RIPA JODHPUR	HCM RIPA BIKANER
3.	751411	NEHA AGRAWAL	DIRECTOR - 13414 , INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT (DIPR) , JAIPUR , JAIPUR	HCM RIPA JAIPUR	HCM RIPA UDAIPUR

उक्त प्रशिक्षण की अवधि पाँच सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा एवं प्रतिदिन 06 व्याख्यान(लेक्चरर) होंगे। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण गैर-आवासीय है, यदि प्रशिक्षणार्थी आवास/बोर्डिंग आदि का लाभ लेना चाहे तो आवास व खान-पान आदि हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध रहेगी। यद्यपि कार्यदिवसों हेतु मध्याह्न भोजन (Working Lunch) सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

उक्त प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता नियम के अध्याय XIII के नियम 34(2) अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु मील भत्ता नियमानुसार देय होगा। किन्तु सारणी-1 में क्रम संख्या 5, 8, 10, 11, 12 एवं 18 पर अंकित कार्मिकों का स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर मनोनयन किये जाने के कारण मील भत्ता देय नहीं होगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। उक्त समस्त कार्मिकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पालना में कार्यमुक्त होकर प्रशिक्षण में उपस्थिति देना अनिवार्य है, जिसमें इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का शिथिलन सम्भव नहीं होगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।



(अमिता शर्मा)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III /3017

दिनांक:- 31-10-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी (कनि. लेखाकार प्रशिक्षण), हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन मार्ग, जयपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालयों उदयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर को प्रेषित कर लेख कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करावें।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
5. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

